दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 21.08.2024

आप.वि.वा. 3034/2024, आप.वि.आ. 11703/2024

तरुण कुमार पुरी .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री पुलकित अटल, श्री कुंदन रॉय और श्री मनोज कुमार, अधिवक्तागण

बनाम

राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) और अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री नवल किशोर झा, राज्य के लिए अति.लो.अभि., श्री ध्रुव गुप्ता, प्रत्यर्थी सं. 2 के अधिवक्ता

और

आप.वि.वा. 3035/2024, आप.वि.आ. 11705/2024

तरुण कुमार पुरी .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री पुलकित अटल, श्री कुंदन रॉय और श्री मनोज कुमार, अधिवक्तागण

बनाम

राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) और अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री नवल किशोर झा, राज्य के लिए अति.लो.अभि., श्री ध्रुव गुप्ता, प्रत्यर्थी सं. 2 के अधिवक्ता

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार ओहरी

<u>निर्णय (मौखिक)</u>

1. वर्तमान याचिकाओं के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली जिले द्वारा आप.पु. संख्या 564/2023 और 565/2023 में पारित दिनांक 11.01.2024 के आक्षेपित आदेश को अपास्त करने की मांग की है जिसके तहत प्रत्यर्थी संख्या 2/शिकायतकर्ता द्वारा दायर याचिकाओं को आंशिक रूप से अनुमति दी गई और याचिकाकर्ता को विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष लंबित शिकायत मामले में अभियुक्त के रूप में समन भेजने का निर्देश दिया गया।

2. उल्लेखनीय रूप से, वर्तमान कार्यवाही परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (जिसे आगे 'एनआई अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 141 के सहपठित धारा 138 के तहत प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत शिकायत मामले के संदर्भ में उत्पन्न हुई है। आपराधिक शिकायत में, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने वर्तमान याचिकाकर्ता को अभियुक्त बनाने के अलावा चार अन्य अभियुक्तों को भी अभियुक्त बनाया था। जबकि कंपनी को अभियुक्त संख्या 1 के रूप में रखा गया

था, वर्तमान याचिकाकर्ता को पक्षकारगण के ज्ञापन में अभियुक्त संख्या 4 के रूप में रखा गया था। विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए केवल अभियुक्त कंपनी और दो अन्य निदेशकों श्री ध्रुव शर्मा और श्री कनव पुरी के खिलाफ सम्मन जारी करने का निर्देश दिया। यह टिप्पणी की गई कि वर्तमान याचिकाकर्ता तथा सह-अभियुक्त श्रीमती अंजलि पुरी को सम्मन करने का कोई आधार नहीं था, क्योंकि वे न तो किसी पद पर थे और न ही वे संबंधित चेक जारी करने के समय कंपनी के दैनिक कामकाज या कारोबार के संचालन के लिए जिम्मेदार थे।

उक्त आदेश को प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा सत्र न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई, जिसने सह-अभियुक्त श्रीमती अंजलि पुरी के विरूद्ध चुनौती को खारिज करते हुए, वर्तमान याचिकाकर्ता की सीमा तक पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दे दी। चूंकि आक्षेपित आदेश समान तथ्यों से संबंधित है और शिकायत एक ही है, यद्यपि दो अलग-अलग चेकों के संबंध में है और यह देखते हुए कि समान प्रस्तुतियां संबोधित की गई हैं, दोनों याचिकाओं पर विचार किया जाता है और इस समान निर्णय के माध्यम से एक साथ निपटान किया जाता है।

3. याचिकाकर्ता ने यह तर्क देते हुए आक्षेपित आदेश को चुनौती दी की कि विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी ने, विषयगत चेक जारी करने से पहले याचिकाकर्ता के इस्तीफा देने के तथ्य की विवेचना की, लेकिन सत्र न्यायालय ने इसकी अनदेखी की। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसने अभियुक्त कंपनी के

निदेशक के पद से 26.04.2022 को इस्तीफा दे दिया था, जबकि विषयगत चेक 28.04.2022 के समझौता अनुबंध के अनुसरण में जारी किए गए थे।

4. याचिकाओं का प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा विरोध किया गया है, जिनका तर्क है कि याचिकाकर्ता, अपने इस्तीफे से पहले, शिकायतकर्ता के साथ व्यापारिक लेनदेन में शामिल था और उसने बोर्ड के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे, जिसने श्री ध्रुव शर्मा को समझौता करने के लिए अधिकृत किया था, जिसके अनुसरण में संबंधित चेक जारी किए गए थे। यह दावा किया गया है कि शिकायत में वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ महत्वपूर्ण प्रकथन हैं, जिनके खिलाफ एनआई अधिनियम की धारा 141(2) के तहत भी कार्यवाही की जा सकती है।

5. चेक जारी होने से पहले याचिकाकर्ता द्वारा इस्तीफा देने के तथ्य पर कोई विवाद नहीं है। बल्कि, प्रत्यर्थी संख्या 2 उक्त स्थिति को स्वीकार करता है। हालांकि, यह दावा किया गया है कि इस्तीफा देने की योजना पहले से ही बनाई गई थी और ऐसा चेक अनादरित होने की स्थिति में प्रतिनिधिक दायित्व से बचने के लिए किया गया था। इस संबंध में, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने शिकायत की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए तर्क दिया है कि वह याचिकाकर्ता के बेटे यानी श्री कनव पुरी का करीबी दोस्त है, जो अभियुक्त कंपनी में निदेशक भी है और शिकायत में अभियुक्त बनाया गया है। याचिकाकर्ता के बेटे ने प्रत्यर्थी संख्या 2 और उसके माता-पिता को अभियुक्त कंपनी में शुरू में 50 लाख रुपये के ऋण के माध्यम से निवेश करने के लिए प्रेरित और राजी किया। इसके बदले में,

प्रत्यर्थी संख्या 2 को 100% इक्विटी (1% के बराबर) का आश्वासन दिया गया और मुनाफे में हिस्सेदारी का वादा किया गया। यह भी सहमति हुई कि ऋण राशि 25 लाख रुपये की दो समान किस्तों में चुकाई जाएगी, जिसके लिए एचडीएफसी बैंक, पंचशिला पार्क पर आहरित दो उत्तर-दिनांकित चेक संख्या 000001 दिनांक 19.12.2021 और 000002 दिनांक 19.06.2022, अभियुक्त कंपनी के एक अन्य निदेशक सह-अभियुक्त श्री ध्रुव शर्मा के हस्ताक्षरों के तहत जारी किए गए थे। प्रत्यर्थी संख्या 2 का दावा है कि उसे 25 लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे कुल निवेश 75 लाख रुपये हो गया। उपरोक्त चेक प्रस्तुत करने पर, उन्हें 'आहर्ता द्वारा भुगतान रोक दिया गया' टिप्पणी के साथ अनादरित कर दिया गया। इस पृष्ठभूमि में, समझौता अनुबंध किया गया जिसके तहत अभियुक्त व्यक्ति 8% ब्याज सहित 75 लाख रुपये चुकाने के लिए सहमत हो गया। 25 लाख रुपये के लिए एचडीएफसी बैंक पर आहरित डिमांड ड्राफ्ट संख्या 039562 को सौंपने के अलावा, 50 लाख रुपये की शेष राशि के लिए दो चेक और साथ ही ब्याज के लिए तीसरा चेक निम्नलिखित तरीके से जारी किया गया:

चेक सं. 000081 दिनांक 31.08.2022	25,00,000/- रुपये
चेक सं. 000082 दिनांक 31.12.2022	25,00,000/- रुपये

चेक सं. 000086 दिनांक 10.02.2023	10,49,539/- रुपये
उपर्युक्त सभी चेक एचडीएफसी बैंक के नाम आहरित किए गए थे।	

जब ये चेक प्रस्तुत किए गए तो उनमें से एक चेक के लिए 'आहरणकर्ता द्वारा भुगतान रोक दिया गया' और शेष दो के लिए 'आहरणकर्ता के हस्ताक्षर भिन्न हैं' जैसी टिप्पणियों के साथ अनादरित हो गए।

6. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने याचिकाकर्ता के बेटे के साथ घनिष्ठ संबंध का दावा किया है और आरोप लगाया है कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उसे अभियुक्त कंपनी में निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया था। यह दावा किया गया है कि अभियुक्त कंपनी को वर्तमान याचिकाकर्ता सहित सभी निदेशकों द्वारा चलाया जा रहा है और एन.आई. अधिनियम की धारा 141(2) की सहायता से आक्षेपित आदेश का बचाव किया गया है। प्रासंगिक बात यह है कि चेक के प्रारंभिक सेट पर भी वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। ऐसा कहा गया कि उन पर अन्य निदेशक यानी श्री ध्रुव शर्मा द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जिन्होंने समझौता अनुबंध को भी निष्पादित किया था। वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ अन्य आरोप यह हैं कि उसने श्री ध्रुव शर्मा को समझौता अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत करने वाले बोर्ड के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी संख्या 2 को विषयगत चेक जारी किए गए

थे। बोर्ड के प्रस्ताव की प्रति अभिलेख पर रखी गई है, जिसे पढ़ने से पता चलेगा कि यह सामान्यतः ध्रुव शर्मा को कंपनी की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत करता है। इसने कहीं भी श्री ध्रुव शर्मा को वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 2 या उसके कथित दायित्व से संबंधित किसी विशिष्ट तरीके से कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं किया। बोर्ड का प्रस्ताव दिनांक 25.04.2022 का है। याचिकाकर्ता ने 26.04.2022 को इस्तीफा दे दिया और समझौता अनुबंध 28.04.2022 को निष्पादित किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने, अपने तर्कों के समर्थन में, **(2023) 10 एससीसी 685** के रूप में रिपोर्ट किए गए एस.पी. मणि एवं मोहन डेयरी बनाम डॉ. स्नेहलता एलंगोवन मामले में निर्णय का हवाला दिया है। उक्त मामले में, यह टिप्पणियां दी गईं जहां अभियुक्त ने दावा किया था कि जब विषयगत चेक जारी किया गया था, तब फर्म पहले ही विघटित हो चुकी थी। उच्च न्यायालय ने शिकायत को यह कहते हुए अभिखंडित कर दिया कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि प्रासंगिक समय पर अभियुक्त किस प्रकार और किस प्रकार फर्म के कारोबार के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार था। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय को पलटते हुए कहा कि शिकायत में विशिष्ट प्रकथन थे कि संबंधित चेक जारी करना उसकी सहमति और जानकारी से हुआ था। उच्चतम न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि वैधानिक नोटिस का उत्तर नहीं दिया गया।

हालाँकि वर्तमान मामले में तथ्यात्मक स्थिति वैसी नहीं है। निस्संदेह, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता ने चेक जारी होने से पहले इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा, अभियुक्त कंपनी द्वारा वैधानिक नोटिस पर दायर जवाब में, चेक जारी करने से पहले वर्तमान याचिकाकर्ता और श्रीमती अर्चना पुरी के इस्तीफे के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था। हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने **(2024) 1 एससीसी 348** के रूप में रिपोर्ट किये गए सिबी थॉमस बनाम सोमानी सेरामिक्स लिमिटेड मामले में निम्नानुसार स्थापित स्थिति को दोहराया है:-

> *18. इस प्रकार, अशोक शेवक्रमणी मामले (सुप्रा) में निर्धारित सिद्धांत के आलोक में, यह स्पष्ट है कि प्रतिनिधिक दायित्व केवल तभी आकर्षित होगा जब एनआई अधिनियम की धारा 141(1) के तत्व संतुष्ट हों। इससे यह भी पता चलेगा कि केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति कंपनी के मामलों का प्रबंधन कर रहा है, वह कंपनी के कारोबार के संचालन का प्रभारी नहीं बन जाता या कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी व्यक्ति नहीं बन जाता। एनआई अधिनियम की धारा 141(1) का अवलोकन मात्र करने से पता चलता है कि केवल वह व्यक्ति जो, अपराध किए जाने के समय कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी था, तथा साथ ही अकेले कंपनी ही अपराध का दोषी मानी जाएगी और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उसे दंडित किया जा सकेगा। ऐसी परिस्थितियों में, पैराग्राफ़*

7. यद्यपि प्रत्यर्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने धारा 141(2) का हवाला दिया है, तथापि इस स्पष्ट तर्क को उठाने के अलावा कि याचिकाकर्ता ने बोर्ड के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे, वह यह स्पष्ट करने में विफल रहे हैं कि कैसे और किस

तरीके से याचिकाकर्ता ने अपने इस्तीफे के बाद इस तरह से कार्य करना जारी रखा कि अपराध उसकी सहमति और मिलीभगत से किया गया था, जो उसकी ओर से लापरवाही को दर्शाता है। तदनुसार, दोनों याचिकाओं को अनुमति दी जाती है और परिणामस्वरूप, आक्षेपित आदेशों को अपास्त कर दिया जाता है।

8. लंबित आवेदनों सहित दोनों याचिकाओं का निपटान उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।

9. निर्णय की प्रति संबंधित विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाए।

न्या. मनोज कुमार ओहरी,

21 अगस्त, 2024
जीए

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*